मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय
–आदेश–

भोपाल, दिनांक 07/6/2018

क्रमांक/एफ 2–2/2018/1/59 : राज्य शासन शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा में शैक्षणिक सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु भारत सरकार से मान्यता/अनुमति प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मापदण्ड के अनुसार शिक्षकों की कमी की पूर्ति के उद्देश्य से तात्कालिक व्यवस्था के रूप में स्नातकोत्तर योग्यताधारी निम्नलिखित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा में संबंधित विषय के व्याख्याता के पद के विरुद्ध अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता हैः–

स. क्र.	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना/जिला	स्नातकोत्तर उपाधि का विषय	विषय/विभाग जिसके व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थ किया जा रहा है
1	डॉ. संजय कुमार साहू	सिंगरौली	शरीर क्रिया विज्ञान	व्याख्याता, शरीर क्रिया विज्ञान के रिक्त पद के विरुद्ध
2	डॉ. संजय कुमार पुरिया	भिण्ड	स्वस्थवृत्त	व्याख्याता, स्वस्थवृत्त के रिक्त पद के विरुद्ध

2/ सीसीआईएम मान्यता की दृष्टि से पदस्थापना की जा रही है। संबंधित अधिकारी बिना कार्यभार ग्रहण अवधि (joining period) के उपभोग के तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। वर्तमान पदस्थापना स्थल से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य कोई भी अवकाश देय नहीं होगा तथा माह जून 2018 से आगे की अवधि का वेतन आहरण नवीन पदस्थापना स्थल से ही होगा।

3/ उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को व्याख्याता के पद के विरुद्ध पूर्णतः अस्थायी रूप से पदस्थ किया जा रहा है। इन चिकित्सकों का धारणाधिकार आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर यथावत रहेगा। भविष्य में व्याख्याता के पद भरने पर उन्हें आयुष औषधालयों/चिकित्सालयों में पदस्थ किया जाएगा।

4/ उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को व्याख्याता के पद के विरुद्ध पदस्थापना के दौरान केवल मूल पद (आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी) के वेतन–भत्ते प्राप्त होंगे, व्याख्याता के पद का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5/ उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शिक्षक संवर्ग के पद पर संविलियन हेतु किसी भी प्रकार के अधिकार का दावा नहीं कर सकेंगे।

6/ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के नियुक्ति आदेश क्रमांक एफ 2–2/2013/1/59 दिनांक 25/4/2016 की कण्डिका (14) में उल्लेख किया गया है कि सभी अधिकारियों को शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर में

....2.....

प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही परिवीक्षा अवधि समाप्त की जावेगी। इस परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों द्वारा यदि उक्त प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया गया है, तो अब पूर्ण करना होगा।

7/ कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उक्त आयुर्वेद चिकित्सकों को उपरोक्तानुसार अण्डरटेकिंग (वचन पत्र) प्रस्तुत करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस. एस. कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

पृ. क्र. /एफ 2–2/2018/1/59 भोपाल, दिनांक 07/6/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– निज सचिव, मान. राज्यमंत्री, आयुष/कुटीर एवं ग्रामोद्योग (स्व. प्र.) म. प्र. भोपाल।
2– आयुक्त, संचालनालय आयुष, म. प्र. भोपाल।
3– सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61–65 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
4– प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा की ओर कण्डिका 2 से 6 तक के बिन्दुओं के संबंध में अण्डरटेकिंग (वचन पत्र) प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण कराया जाए।
6– संभागीय आयुष अधिकारी, रीवा/ग्वालियर।
7– जिला आयुष अधिकारी, सिंगरौली/भिण्ड की ओर संबंधित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये तत्काल कार्यमुक्त करने हेतु।
8– संबंधित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ.....की ओर पालनार्थ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग